

संजयसंस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू- संरक्षण संजयसंस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक-18(आई-18)/निजभूत /आई.डब्ल्यू.एम.पी. 5 891-5933 दिनांक : 3.11.11

परियोजना प्रबंधक
(जिला जलग्रहण विकास इकाई) एवं
अधिसायी अभियन्ता (भू संरक्षण),
समस्त जिला परिषद (श्रीगंगानगर को छोड़कर)


विषय:- आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनांतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं की प्रारम्भिक
घरण की गतिविधियों की समय सीमा के सम्बंध में

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनांतर्गत स्वीकृत होने वाली जलग्रहण परियोजनाओं के प्रारम्भिक घरण को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	गतिविधि	समय सीमा
1	डी.डब्ल्यू.डी.यू./ पी.आइ.ए. का डी.के. में आगम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 15 दिनों के अन्दर
2	डब्ल्यू.डी.पी. का गठन	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 2 माहों के अन्दर
3	प्रशिक्षण हेतु स्वयं सेवी संस्थान / मोदीके/ सरकारी संस्थाओं का चुनाव	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 2 माहों के अन्दर
4	शोभा जागरण, भारतरत्न, हार्डिंग आदि	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 3 माहों के अन्दर
5	डब्ल्यू.डी.पी. का अनुसूचीकरण	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 4 माहों के अन्दर
6	परियोजना क्षेत्र में किचनान स्वयं सहायता समूह की सूचना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 4 माहों के अन्दर
7	विरसुत परियोजना प्रतिवेदन हेतु परियोजना क्षेत्र के गांव के राजस्व नकल	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 3 माहों के अन्दर
8	पी.आइ.ए. का अनुसूचीकरण	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 2 माहों के अन्दर
9	प्रवेश निष्पु. गतिविधि का घटन	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 3 माहों के अन्दर

10	उपसमिति जलग्रहण का गठन प्रवेश विन्दु गतिविधि का ग्रामसभा में अनुमोदन	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 4 महिने के अन्दर
11	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु वेबसाईट सर्वे	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 5महिने के अन्दर
12	डब्ल्यू.डी.टी की विषय वस्तु सम्बंधित डीपीआर हेतु प्रशिक्षण	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 4 महिने के अन्दर
13	उपसमिति जलग्रहण को वधत खाता खोलना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 4 महिने के अन्दर
14	प्रवेश विन्दु गतिविधि का पूर्ण होना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 8 महिने के अन्दर
15	उपसमिति जलग्रहण का प्रशिक्षण	उपसमिति का गठन के 2 माह के अन्दर
16	जीआईएस नक्शा पूर्ण होना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 6-8 महिने के अन्दर
17	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु डी आर ए	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 5 महिने के अन्दर
18	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का पूर्ण होना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 6-8 महिने के अन्दर
19	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 7-9 महिने के अन्दर
20	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को वेबसाईट पर डालना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 9-12 महिने के अन्दर

समस्त आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं में समय सारणी अनुसार गतिविधियों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।


निदेशक


क्रमांक : एफ-18 (आई-18) / निजभूस / आई.डब्ल्यू.एम.पी. 5291-5933 दिनांक : 3.11.11

प्रतिनिधि सूचनार्थ

1- मुख्य लेखाधिकारी, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/एमआईईएस), निदेशालय जयपुर।

3- उपनिदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/जीविकोपार्जन/गुनिस/प्रशिक्षण/कृषि/ग्रामीण / एनडब्ल्यूडीपी/प्रशासन) निदेशालय जयपुर।

विकास

निदेशक